



**महाविद्यालय विकास परिषद् की कोविड-19 के गाईडलाईन के अनुसार  
ऑनलाईन बैठक दिनांक 19.03.2021 का कार्यवृत्त**

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अध्यादेश क्रमांक-54 के कण्डिका 4(1) [i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii एवं ix] के तहत विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 212/DCDC/2021 रायपुर, दिनांक 05.03.2021 के द्वारा महाविद्यालय विकास परिषद् का गठन किया गया।

महाविद्यालय विकास परिषद् के सदस्यों की बैठक दिनांक 19.03.2021 को कोविड-19 की गाईडलाईन्स के अनुरूप ऑनलाईन अपरान्ह 03:30 बजे अभासी पटल (Virtual Platform) पर आयोजित की गयी। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. प्रो. के.एल. वर्मा, कुलपति       | — अध्यक्ष |
| 2. प्रो. ए.के. गुप्ता, डी.सी.डी.सी. | — संयोजक  |
| 3. प्रो. रीतावेणुगोपाल              | — सदस्य   |
| 4. प्रो. माया वर्मा                 | — सदस्य   |
| 5. प्रो. के.के. घोष                 | — सदस्य   |
| 6. प्रो. आभा रूपेन्द्र पाल          | — सदस्य   |
| 7. डॉ. शैलजा निगम                   | — सदस्य   |
| 8. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर              | — सदस्य   |
| 9. डॉ. मनोज मिश्रा                  | — सदस्य   |
| 10. डॉ. देवाशीष मुखर्जी             | — सदस्य   |
| 11. डॉ. संध्या गुप्ता               | — सदस्य   |
| 12. डॉ. एस.के. भट्ट                 | — सदस्य   |
| 13. डॉ. के.के. बिंदल                | — सदस्य   |
| 14. डॉ. जय नारायण वर्मा             | — सदस्य   |
| 15. डॉ. जया तिवारी                  | — सदस्य   |
| 16. डॉ. प्रतिमा चन्द्राकर           | — सदस्य   |
| 17. डॉ. शिवेश्वर उपाध्याय           | — सदस्य   |

प्रो. ए.के. गुप्ता, संचालक महाविद्यालय विकास परिषद् ने सभी सदस्यों का स्वागत एवं अभिवादन करते हुए बैठक आरंभ किया तथा पूर्व में आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद् की बैठक में हुई चर्चा के कार्यवृत्त के मुख्य बिन्दुओं की संक्षेप में जानकारी प्रदान की गयी तथा उस पर कृत कार्यवाही से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गयी:-

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की योजनाओं एवं अनुदान हेतु महाविद्यालयों का 2(f) एवं 12(b) के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के

क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों में से 30 शासकीय एवं 11 अशासकीय महाविद्यालय 2(f) एवं 12(b) के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा 2(f) अन्तर्गत के अंतर्गत 33 शासकीय एवं 15 अशासकीय महाविद्यालय पंजीकृत है।

संचालक महाविद्यालय विकास परिषद् ने इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले शेष महाविद्यालयों में 2(f) एवं 12(b) के पंजीयन हेतु कार्यवाही करने की आवश्यकता बतायी। उक्त अनुक्रम में समय-समय पर संचालक महाविद्यालय विकास परिषद् द्वारा महाविद्यालयों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता रहा है।

2. NAAC:- सभी महाविद्यालयों का NAAC द्वारा प्रत्यायन कराया जाना आवश्यक है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों में से 20 महाविद्यालयों को NAAC द्वारा ग्रेडिंग प्राप्त है। ऐसे महाविद्यालय जिनको पूर्व में NAAC ग्रेडिंग प्राप्त हुआ था किन्तु जिसकी समय-सीमा समाप्त हो चुकी है तथा ऐसे महाविद्यालय जिन्होंने अभी तक NAAC मूल्यांकन हेतु प्रयास नहीं किया है उनके द्वारा NAAC प्रत्यायन हेतु शीघ्र पहल किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

डॉ. गुप्ता ने यह जानकारी दी पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को राज्य के 05 राजकीय विश्वविद्यालय एवं उनके सम्बद्ध महाविद्यालयों को नैक कराने हेतु प्रोत्साहित करने एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नोडल एजेंसी बनाया गया है। जिसमें संचालक महाविद्यालय विकास परिषद् पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, संचालक महाविद्यालय विकास परिषद् बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा एवं संचालक महाविद्यालय विकास परिषद्, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग शामिल है।

3. IQAC:- सभी महाविद्यालयों में IQAC का गठन किया जाए तथा अध्ययन-अध्यापन में गुणवत्ता हेतु निरंतर प्रयास किया जावे।
4. समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा परिनियम 27 एवं 28 का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए विशेषकर महाविद्यालयों में शिक्षकों/कर्मचारियों की नियुक्ति, ग्रंथालय में पुस्तकों की उपलब्धता, e-Library तथा प्रयोगशालाओं में उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।


वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कोविड-19 के गाईडलाईन्स का पालन करते हुए ऑनलाईन क्लासेस के द्वारा छात्रों की पढ़ाई करायी जाए। साथ ही प्रत्येक महाविद्यालय अपनी एक वेबसाईट अवश्य बनाए तथा उस पर आवश्यक जानकारी समय-समय पर अपडेट करते रहें जिससे छात्रों को अनावश्यक भटकना ना पड़े।

5. सदस्यों द्वारा UGC की कार्यप्रणाली एवं महाविद्यालयों में NAAC मूल्यांकन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय स्तर कराए जाने की मांग की गई।


संचालक महाविद्यालय विकास परिषद् ने उन्हें बताया कि प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय मानव संसाधन विभाग के द्वारा प्राचार्यों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाती है। जिसमें पूर्व में UGC की कार्यप्रणाली एवं महाविद्यालयों में NAAC मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई थी। इस वर्ष अगामी माह में नैक विषय पर वेबीनार आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

6. कुलपति जी ने महाविद्यालय विकास परिषद् के गठन की आवश्यकता एवं महत्व के संबंध में जानकारी दी तथा निर्देशित किया कि— सभी महाविद्यालयों में UGC की योजनाओं का क्रियान्वयन, NAAC द्वारा मूल्यांकन, ग्रन्थालय में पुस्तकों की पर्याप्त व्यवस्था, प्रयोगशालाओं में उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था एवं प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति आदि की कार्यवाही निरंतर की जावे।

प्रो. ए.के. गुप्ता के द्वारा इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के साथ मिलकर शिक्षा के गुणवत्ता विकास में संवर्धन के लिए आवश्यक पहल करने हेतु प्रयास किए जाने पर जोर दिया गया। मान. कुलपति जी एवं उपस्थित सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न की गई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष


पृ.कमांक: 226 /DCDC/21

  
संयोजक/संचालक  
महाविद्यालय विकास परिषद्

रायपुर, दिनांक: 23/07/2021

प्रतिलिपि:—

1. समस्त सदस्य, महाविद्यालय विकास परिषद् को सूचनार्थ।
2. उप कुलसचिव (अका.)/उप कुलसचिव (सा.प्रशा.)/अधिष्ठाता छात्र कल्याण
3. वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर
4. कुलपति जी के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. र.शु. वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

  
संचालक  
महाविद्यालय विकास परिषद्  
पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर